राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नांगलिया गुर्जरवास

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या– 26/2021

प्रेमलता गोयल पत्नी हरबक्स कुमार जाति महाजन निवासी इन्द्रा कालोनी नीमकाथाना जिला सीकर, राज0

.........प्रार्थीया

ब–ना–म

1. उमराव पुत्र भादर जाति गुर्जर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने

निर्णय **दिनांक 26–10–2021**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीया ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास स्थित जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 40 ख.नं. 1653 रकबा 0.53 है. की खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1653 रकबा 0.53 है. के दक्षिण पश्चिमी कौने की मेढ के साथ–साथ अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 1659 रकबा 0.63 है. सींव जोड़ स्थित है तथा दक्षिण दिशा में ख.नं. 1658 रकबा 0.25 है. पूर्व दिशा में ख.नं. 1657 रकबा 1.42 है., उत्तर दिशा में 1654 रकबा 6.95 है. तथा पश्चिम दिशा में ख.नं. 1651 रकबा 0.80 है. व 1652 रकबा 0.13 है. राज्य सरकार की भूमि सींव जोड़ स्थित है जिस पर अन्य लोगों ने अतिक्रम कर रखा है। प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 1653 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के साथ अप्रार्थी सं. 1 व पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी सीमा के साथ राज्य सरकार की भूमि ख.नं. 1658 रकबा 0.25 है., पूर्व दिशा में ख.नं. 1657 रकबा 1.42 है., उत्तर दिशा में 1654 रकबा 6.95 है. तथा पश्चिम दिशा में ख.नं. 1651 रकबा 0.80 है. व 1652 रकबा 0.13 है. पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वे प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमा के साथ छेड़–छाड़ करते रहते हैं व मियाल को काटते है। इसलिये प्रार्थीया ने पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास से दिनांक 02.01.2021 को ग्राम देवनगर के ख.नं. 1653 का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी [illegible] चाहती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि [illegible] तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 1653 समस्त सीमाओं की [illegible] करवाकर ख.नं. 1653 चारों सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:24:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 02.01.2021, नक्शा किश्तवार, जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 40, खाता सं. 4, खाता सं. 1 व खाता सं. 108 ग्राम देवनगर पेश की गई।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प नांगलिया गुर्जरवास में पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम देवनगर की जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 40 खसरा नंबर 1653 रकबा 0.53 है. प्रार्थीया की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 02.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने विवादित भूमि खसरा नंबर 1653 का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थीया पुनः ख.नं. 1653 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो विधिसम्मत है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम देवनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 1653 रकबा 0.53 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नांगलिया गुर्जरवास में दिनांक 26–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner